

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं०-मं०-०१/आर०-०५/०९ 1770 दिनांक- 7/12/11

अधिसूचना

भारत सविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

(1) कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-22 पर अंकित प्रविष्टि "मानव संसाधन विकास विभाग" को "शिक्षा विभाग" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-०१/आर०-०५/०९..... दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अमुरोध है कि अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में मुद्रित कर प्रकाशित की जाय तथा उसकी 500 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।
अनु० - (सी०डी० सहित)।

ह०/-

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-०१/आर०-०५/०९ 1770 दिनांक- 7/12/11

प्रतिलिपि- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव